अधिसूचना संख्या 3/2015[एफ.सं.: डीजीआईटी(एस)/सीपीसी(टीडीएस)/व्यवसाय प्रमाणीकरण प्रणाली/2015-16/14557-14690], **दिनांक 1-12-2015**

आयकर अधिनियम की धारा 200 में टीडीएस विवरण दाखिल करने का प्रावधान है। ऐसे विवरण और विवरण दाखिल करने का तरीका आयकर नियमों के नियम 31क में निर्धारित किया गया है। *वीडियो* आयकर नियमों के नियम 31क के उप-नियम 5 (डीएफए-II में रखा गया) के अनुसार, यह निर्दिष्ट किया गया है कि आयकर महानिदेशक (प्रणाली) प्रपत्र 26बी में प्रतिदान के लिए विवरण या दावे को प्रस्तुत करने और सत्यापन करने के प्रयोजनों के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों को निर्दिष्ट करेंगे और प्रपत्र 26 *ख* में प्रतिदान के लिए विवरण या दावे को प्रस्तुत करने और सत्यापन करने के संबंध में दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए निर्दिष्ट तरीके से जिम्मेदार होंगे।

आयकर नियम 1962 के नियम 31क के उप-नियम 5 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) ने बैंकों और व्यवसाय कटौतीकर्ताओं द्वारा सुधार विवरण दाखिल करने और टीडीएस प्रमाणपत्र, समेकित फाइलों आदि को डाउनलोड करने के लिए निम्नानुसार प्रमाणीकरण व्यवस्था निर्धारित किया है:

1. प्रमाणीकरण प्रक्रिया की आवश्यकता

1.1 सीपीसी-टीडीएस ने व्यवसाय मुख्यालय के साथ व्यवसाय की सभी शाखाओं के टीडीएस अनुपालन से संबंधित मुद्दों को आगे बढ़ाने के इरादे से "व्यवसाय संबद्ध" शुरू किया। इस पहल का गुणक प्रभाव होगा, क्योंकि केवल 4000 पैन संस्थाओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करके 2 लाख से अधिक कटौतीकर्ताओं के टीडीएस चूक का समाधान किया जा सकता है। सीपीसी-टीडीएस ने व्यवसाय मुख्यालयों के लिए पैन स्तर पर अपनी शाखाओं के टीडीएस चूक का सारांश उपलब्ध कराने की कार्यक्षमता भी शुरू की है। इस पहल की महत्ता इस तथ्य से समझी जा सकती है कि कुल टीडीएस चूक का 30% तथा कुल पैन त्रुटियों का 80% केवल 4000 पैन संस्थाओं से संबंधित है।

1.2 इस प्रक्रिया के दौरान, बैंकों को बंद शाखाओं तथा अन्य बैंकों में विलय की गई शाखाओं के मामले में टीडीएस चूक का समाधान करने में कठिनाई हो रही थी। बैंक बकाया चूकों के समाधान के लिए सुधार विवरण दाखिल करने हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08, 2009-10 आदि के पुराने रिकार्ड प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इसके अलावा बैंकों को भी चुनौती का सामना करना पड़ा। अनुरेख निवाहिका पर ऑनलाइन सुधार दाखिल करने के लिए प्रत्येक शाखा के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करना। संशोधित पहुँच प्रक्रिया की उत्पत्ति डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग के बिना पुराने आँकड़े की पुनर्प्राप्ति की उपरोक्त चुनौतियों का समाधान करने की रणनीति में निहित है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कुल पैन त्रुटियों में से 80% बैंकों से संबंधित हैं संशोधित पहुँच प्रक्रिया से सुधार प्रक्रिया में अनुशासन आएगा क्योंकि केवल प्राधिकृत बैंक अधिकारी ही अनुरेख प्रणाली पर काम कर सकेंगे। मुख्यालय को "व्यवसाय संबद्ध" अभियान के रूप में शामिल करने की अवधारणा से बेहतर टीडीएस अनुपालन लाने में मदद मिलेगी, क्योंकि मुख्यालय के पास प्रत्येक शाखा के टीडीएस अनुपालन की पूरी जानकारी होगी।

2. शामिल व्यवस्था

2.1 यह व्यवस्था किसी विशेष इकाई की विभिन्न टीएएन शाखाओं के पहुँच अनुरोधों को उसके व्यवसाय मुख्यालय सर्वर के माध्यम से रूट करने की अवधारणा पर आधारित है। कटौतीकर्ता शाखा लॉगिन क्रेडेंशियल को संबंधित बैंक/व्यवसाय मुख्यालय (मुख्यालय) के परिसेवक को भेजेगी और मुख्यालय परिसेवक उपयोगकर्ता के सिस्टम के लॉगिन क्रेडेंशियल और आईपी पते को मान्य करेगा। आवश्यक सत्यापन के बाद, मुख्यालय परिसेवक गुप्त सूचना के रूप में डिजिटल हस्ताक्षरित कड़ी को अनुरेख परिसेवक को भेज देगा। अनुरेख परिसेवक पैरा 2.2.2 में निर्दिष्ट परिभाषित विवरणों को प्रमाणित करेगा तथा संबंधित टैन खाते तक पहुंच प्रदान करेगा। इस व्यवस्था के तीन फायदे हैं:

(*a*) संवेदनशील तृतीय पक्ष आँकड़े तक सुरक्षित पहुँच: बैंकों/व्यवसायों के केवल अधिकृत प्रतिनिधि

ही अनुरेख निवाहिका तक पहुँचेंगे क्योंकि लॉगिन केवल व्यवसाय परिसेवक के माध्यम से होगा।

(*b*) व्यवसाय मुख्यालय शाखाओं के प्रवेश अनुरोधों पर नज़र रख सकता है और इससे शाखाओं के बीच अनुशासन लागू करने में मदद मिलेगी।

(*c*) व्यवसाय परिसेवक के माध्यम से अनुरोध को रूट करने के कारण अनुरेख निवाहिका तक पहुँचने के लिए प्रत्येक बैंक/व्यवसाय शाखा के लिए अलग से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

2.2 **इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार है:**

2.2.1 **कटौतीकर्ता कार्यक्षमताएँ सेवा यूआरएल तक पहुँचें**

व्यवसाय परिसेवक के माध्यम से कटौतीकर्ता कार्यक्षमताओं तक पहुँचने के लिए, व्यवसाय बैंकों को एचटीटीपी पोस्ट विधि के माध्यम से अनुरोध आँकड़े भेजने की आवश्यकता होती है। व्यवसाय बैंक परिसेवक के माध्यम से कटौतीकर्ता की कार्यक्षमता तक पहुँच एसएसएल पर प्रदान की जाएगी।

अनुरोध मापदंडों की सूची

#	प्राचल	आँकड़े का प्रकार	प्राचल का विवरण
1	आँकड़े *	विषय वस्तु	कटौतीकर्ता का पैन, कटौतीकर्ता का टैन, लेनदेन टाइमस्टैम्प, आईपी, ईमेल आईडी, एपी का मोबाइल नंबर आदि।
2	हस्ताक्षर	विषय वस्तु	आधार 64 एनकोडिंग के साथ पीकेसीएस7 प्रारूप में डिजिटल हस्ताक्षर

वेबसाइट से आँकड़े केवल एचटीटीपीएस अनुरोध के माध्यम से पोस्ट विधि का उपयोग करके निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

"डेटा" फ़ील्ड की संरचना

#	क्षेत्र का नाम	आँकड़े का प्रकार	क्षेत्र की लंबाई	अनिवार्य/वैकल्पिक	नमूने का मूल्य
1	कटौतीकर्ता का पैन	चरित्र	10	अनिवार्य	एएएए9999ए
2	कटौतीकर्ता का टैन	चरित्र	10	अनिवार्य	एएएए99999ए
3	एपी का पैन	चरित्र	10	अनिवार्य	लॉगिन के दौरान दर्ज किया गया (प्राधिकृत व्यक्ति का पैन)
4	एपी का मोबाइल नंबर	संख्यात्मक	10	अनिवार्य	9999999999
5	एपी की ईमेल आईडी	चरित्र	एनए	अनिवार्य	बैंक/व्यवसाय का डोमेन नाम वाली ईमेल आईडी जैसे (@sbi.co.in)
6	लेन-देन टाइमस्टैम्प	वर्ण (YYYY-MM-DD-hh24.mi.ss.ffffff)	26	अनिवार्य	2009-10-26-15.07.40.071658

* आँकड़े में उपरोक्त फ़ील्ड "ए" से अलग किए जाएँगे

2.2.4 **अनधिकृत पहुँच परिदृश्यों की सूची**

क. बैंक द्वारा अनुरोधित आँकड़े उचित प्रारूप में नहीं है

ख. जिस बैंक यूआरएल के माध्यम से बैंक अनुरेख आवेदन तक पहुँच रहा है वह सही नहीं है

ग. ग़लत डिजिटल प्रमाणपत्र

घ. अनुरोध पैरामीटर मान्य नहीं हैं

ङ. टाइमस्टैम्प का उपयोग बासीपन की जाँच के लिए किया जाएगा

3. सीपीसी (टीडीएस) धीरे-धीरे बैंकों और कॉरपोरेट्स को अनुरेख निवाहिका तक पहुँचने की संशोधित प्रमाणीकरण प्रक्रिया में स्थानांतरित कर देगा। बैंकों/व्यवसायों के शामिल होने की संक्रमणकालीन अवधि के दौरान संबंधित बैंकों/व्यवसायों के उपयोगकर्ताओं के लिए अनुरेख निवाहिका तक सामान्य पहुँच उपलब्ध रहेगी। इकाई और उसकी सभी शाखाओं के पूर्ण रूप से शामिल हो जाने के बाद ही सामान्य पहुँच बंद कर दी जाएगी।

■■